



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 668 राँची, मंगलवार,

29 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

07 दिसम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-152/2018-12254 (HRMS)-- श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-हजारीबाग), भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी के विरुद्ध इनके अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5052(9)/रा0, दिनांक 21.12.2018 द्वारा उपायुक्त, राँची के पत्रांक-131(i)/स्था0, दिनांक 08.07.2017 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-‘क’, आरोपों पर श्री मुण्डा के पत्रांक-642, दिनांक 14.10.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची के पत्रांक-120(i)/ स्था0, दिनांक 27.09.2018 द्वारा प्रेषित मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री मुण्डा के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. श्री जितेन्द्र मुण्डा (झा0प्र0से0) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन राँची जिला के अनगड़ा अंचल में वर्ष 2010 में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-244/रा0, दिनांक 22.01.2011 में वर्णित तथ्यों के अनुसार अनगड़ा अंचल के मौजा-बेडवारी के खाता नं0-36, आर0एस0 प्लॉट नं0-1215 में से 33.50 डिसमिल जमीन श्री भोलानाथ सिंह एवं श्री रामप्रवेश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 27.06.2005 को खरीदी गई और रजिस्टर्ड खरीद-बिक्री के पश्चात् इन दोनों का नाम दाखिल-खारिज वाद सं0-128-आर0127/06-07 द्वारा अलग रैयती खाता खोलकर पंजी-2 में इनके नाम से अलग खाता खोला गया। उक्त खाते में दोनों आधे-आधे के हिस्सेदार

हैं। श्री भोलानाथ सिंह द्वारा श्री विश्राम महतो को दिनांक 03.08.2010 को जेनरल पाँवर पुवर ऑफ अटॉर्नी दिया गया एवं जिसने माँ जगतारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री ईश्वर प्रसाद को इसका विक्रय पत्र सं0-19841 एवं 19843 बिक्री किया। विक्रय पत्र क्रमांक-19841 द्वारा आर0एस0 प्लॉट नं0-1215 में से 05 डिसमिल एवं विक्रय पत्र क्रमांक-19843 द्वारा आर0एस0 प्लॉट नं0-1215 में से 28.05 डिसमिल अर्थात् कुल 33.5 डिसमिल की बिक्री उपर्युक्त दोनों सेल डीड द्वारा किया गया। इस सेल डीड के आधार पर अंचलाधिकारी, अनगड़ा द्वारा दाखिल-खारिज वाद सं0-175 आर0-27/10-11 एवं 176 आर0-27/10-11 में दिनांक 04.10.2010 को माँ जगतारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री ईश्वर प्रसाद के नाम से दाखिल-खारिज स्वीकृत किया गया।

जमाबंदी पंजी-2 में उक्त भूमि का जमाबंदी दाखिल-खारिज वाद सं0-128 आर-27/06-07 द्वारा श्री भोलानाथ सिंह एवं रामप्रवेश सिंह के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है एवं लगान रसीद सं0-5078756 दिनांक 31.12.2008 निर्गत है। उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए भी श्री जितेन्द्र मुण्डा, अंचल अधिकारी, अनगड़ा द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं पंजियों से सत्यापित किये बिना ही नियम विरुद्ध तथ्य को छुपाते हुए नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके लिए श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

2. श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं(ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री मुण्डा के पत्रांक-642, दिनांक 14.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. माँ जगतारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री ईश्वर प्रसाद के नाम से नामान्तरण वाद सं0-175R27/10-11 से मौजा-बेड़वारी के खाता सं0-9/1, 36, 58 एवं 88 क्रमशः खेसरा नं0-1258, 1215, 1222 एवं 1260 क्रमशः रकबा 03 डी0, 05 डी0, 05 डी0 एवं 06 डी0 कुल रकबा 19 डी0 एवं नामान्तरण वाद सं0-176R27/10-11 से मौजा-बेड़वारी के खाता सं0-58 एवं 36 क्रमशः खेसरा नं0-1230 एवं 1215 क्रमशः रकबा 26 डी0 एवं 281/2 डी0 कुल रकबा 581/2 डी0 भूमि का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। खाता 36 खेसरा 1215 रकबा 331/2 डी0 भूमि पर विवाद है।

2. विवादित भूमि मौजा-बेड़वारी, थाना नं0-20, खाता सं0-36, खेसरा-1215, रकबा-331/2 डी0 भूमि की जमाबंदी श्री भोलानाथ सिंह, पिता-यमुना प्रसाद सिंह एवं श्री राम प्रवेश सिंह, पिता-गुप्तेश्वर सिंह के नाम से पंजी-11 में दाखिल-खारिज वाद सं0-128R27/06-07 के आधार पर कायम की गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त नामान्तरण वादों में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें सिर्फ भोलानाथ सिंह के नाम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संधारित होने की बात अंकित की गई है, जो जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा। जबकि पंजी-11 में संयुक्त जमाबंदी कायम है, फिर भी हल्का कर्मचारी के द्वारा एक ही व्यक्ति भोलानाथ सिंह के द्वारा पूर्ण भूमि बिक्री करने के बाद पूर्ण भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

3. उक्त नामान्तरण वादों में अंचल निरीक्षक के द्वारा भी जांचोपरान्त नामान्तरण करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा की गई थी।

4. हल्का कर्मचारी के पास पंजी-11 एवं खतियान रहता है। उक्त दस्तावेजों के मिलान के पश्चात् एवं स्वामित्व जांच के उपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदन अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है। साथ ही अंचल निरीक्षक का दायित्व हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदनों का निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के मिलान के बाद उनके द्वारा संतुष्ट होने के उपरान्त अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है, परन्तु उक्त दोनों नामान्तरण वादों में इसका पालन नहीं किया गया है। श्री मुण्डा द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया गया था।

5. संबंधित दाखिल-खारिज वाद में त्रुटि का मामला श्री मुण्डा के संज्ञान में आते ही संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई है। अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी द्वारा दिनांक 04.01.2011 को समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उक्त मामले में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा नामान्तरण की अनुशंसा के क्रम में लापरवाही बरती गई है एवं दोनों सरकारी सेवक के विरुद्ध उक्त कृत्य के लिए आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित कर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता, राँची को पत्रांक-07(i) दिनांक 27.01.2011 के द्वारा भेजी गई है।

6. उक्त तथ्य संज्ञान में आने के उपरान्त माँ जगतारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री ईश्वर प्रसाद, पिता-श्री लाला प्रसाद के नाम से जमाबंदी कायम नहीं किया गया और न ही लगान रसीद निर्गत किया गया तथा पंजी-11 इन्द्राज यथावत् रहा। इसके उपरान्त विविध वाद सं0-15/10-11 दि0 03.01.2011 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची को सुधार हेतु अनुशंसा के साथ भेजी गई थी।

7. उक्त वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची द्वारा सुनवाई कर न्यायोचित आदेश पारित किये कि रैयत भोलानाथ सिंह द्वारा गलत पाँवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निबंधन की कार्रवाई की गई, अंचल अधिकारी, अनगड़ा के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए दाखिल-खारिज वाद सं0-175R27/10-11 एवं सं0-176R27/10-11 के द्वारा संधारित नई जमाबंदी को स्थगित किया गया। इस प्रकार न्यायालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, राँची के द्वारा पारित आदेश के पश्चात् श्री रामप्रवेश सिंह के हक-हकियत दखल प्रभावित नहीं होती।

8. आवेदक श्री रामप्रवेश सिंह, पिता-गुप्तेश्वर सिंह, निवास-सर्वोदय नगर, डेम साईड, थाना-गोन्दा, जिला-राँची ने प्रश्नगत भूमि खाता नं0-36, खेसरा नं0-1215 कुल रकबा-331/2 डी0 मधे रकबा-16.75 डी0, जो उनके हिस्से में है, को अपने स्वामित्व में लेकर दिनांक 05.08.2011 को क्रेता श्रीमती ममता कुमारी, पिता-श्री सुरेश प्रसाद, निवासी ग्राम-बेड़वारी, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची के साथ निबंधन डीड संख्या-18882 दिनांक 05.08.2011 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया एवं अंचल कार्यालय, अनगड़ा से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कार्यालय पत्रांक-53(ii) दिनांक 24.01.2013 के द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्नगत खाता, प्लॉट बिक्री के उपरान्त क्रेता श्रीमती ममता कुमारी, पिता-श्री सुरेश प्रसाद, ग्राम-बेड़वारी, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची ने अंचल कार्यालय से वाद सं0-75त27/ 12-13 द्वारा दाखिल-खारिज कराकर शांतिपूर्वक दखलकार है।

श्री मुण्डा के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची के पत्रांक-120(i)/स्था0, दिनांक 27.09.2018 द्वारा निम्नवत् दिया गया है-

“श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया गया था, परन्तु मामला संज्ञान में आते ही नामान्तरण रद्द करने की कार्रवाई की गई थी। अतः श्री जितेन्द्र मुण्डा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा के द्वारा किया गया कृत्य जानबूझकर नहीं किया गया है, वरन यह मानवीय भूल मात्र है। तदनुसार उनके स्पष्टीकरण पर विभागीय स्तर पर विचार किया गया जा सकता है।”

श्री मुण्डा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य की छायाप्रति विभागीय पत्रांक-1391 दिनांक 14.02.2019 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को भेज कर विभागीय मंतव्य की माँग की गई। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2300(9)/रा0 दिनांक 08.09.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपायुक्त, राँची के मंतव्य पर सहमति संसूचित की गई है।

अतः, समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची, सम्प्रति-भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JITENDERA MUNDA 20060400046	श्री जितेन्द्र मुण्डा, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची, सम्प्रति-भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी को भविष्य में सचेत रहने के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
